



इं० संजय तिवारी  
निदेशक (का०प्रबं० एवं प्रशासन)

**U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.**

8<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extn.,

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,

8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,

14-अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

(CIN:U40101UP1980SGC005065)

पत्रांक: 715/उ०नि०लि०/निदे०(का०प्रबं० एवं प्रशा०)/सामान्य/2020,

दिनांक: 21 मार्च, 2020

### परिपत्र

**विषय:- नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिये किये जाने वाले निवारक उपायों के बारे में।**

नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिये पत्रांक: 697/उ०नि०लि०/निदे०(का०प्र० एवं प्रशा०)/सामान्य/2020 दिनांक: 20 मार्च 2020 द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुक्रम में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों और विभागों द्वारा कुछ एहतियाती उपाय किये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भलाई और सार्वजनिक हित में निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये:-

#### क्या करें:-

- 1) निजी सफाई रखें तथा लोगों से दूरी बनाये रखें।
- 2) कुछ समय के अंतराल पर हाथ धोने की आदत डालें यथा आवश्यकतानुसार साबुन/एलकोहल आधारित लिक्विड से हाथ धोयें या सेनिटाइजर से हाथ साफ कर लें। हाथों के साफ दिखने पर भी नियमित अंतराल पर हाथ धोते रहें।
- 3) खासते/छींकते समय नाक व मुँह को रूमाल/टिश्यू पेपर से अवश्य ढक लें। छींकते समय अपना मुँह कोहनियों के मध्य रखें तथा हथेलियों का प्रयोग न करें।
- 4) खासते/छींकने के बाद प्रयोग में आये हुए टिश्यू पेपर को बन्द ढक्कन वाले कूड़ेदान में डालें।
- 5) लोगों से बातचीत के समय सुरक्षित दूरी अवश्य बनायें रखें, विशेषकर ऐसे लोगों से जिनमें फ्लू जैसे लक्षण परिलक्षित हो रहे हों।
- 6) अपने शरीर के तापमान की नियमित रूप से जाँच करें तथा सांस लेने से सम्बन्धित लक्षणों पर भी विशेष ध्यान देते रहें। किसी प्रकार के बुखार/सांस लेने में परेशानी व खोंसी की शिकायत होने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्शानुसार कार्यवाही करें। चिकित्सक से सम्पर्क करते समय अपना मुँह और नाक मास्क/रूमाल से अवश्य ढक कर रखें।
- 7) दूध के पैकेट लेते वक्त पैकेट व अपने हाथों को यथाशीघ्र स्वच्छ पानी से धो लें।
- 8) यथासम्भव दैनिक समाचार पत्र स्थगित कर ई-समाचार पत्र का उपयोग करें।
- 9) कोरियर/पार्सल को रखने हेतु अलग ट्रे का उपयोग किया जाये तथा यथासम्भव उन्हें 24 घण्टे उपरांत ही छुआ जाये।
- 10) यथासम्भव आवास पर घरेलू कार्य हेतु आने वाले सेवकों को अवकाश प्रदान किया जाये, फिर भी यदि अति आवश्यक हो तो उन्हें मुख्य द्वार न छूने हेतु निर्देशित किया जाये और सर्वप्रथम उनके हाथ धुलवाये जायें।
- 11) प्रयोग में लाये जाने वाले फल/सब्जियों को प्रयोग से पहले अच्छी तरह से पानी से स्वच्छ कर लें।
- 12) टी०वी० के रिमोट, फोन, की-बोर्ड्स इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को प्रतिदिन सेनेटाईज्ड किया जाये।
- 13) कार्यालय/अन्य किसी बाहरी स्थल से घर पहुँचने पर अपने कपड़ों को तुरंत उतारकर अलग रखें एवं अपने हाथ मुँह और पैरों को अच्छे से सेनेटाईज्ड/धो लें।
- 14) वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिदिन टहलने की आदत से रोकें। यथासम्भव घर पर ही उचित व्यायाम की सलाह दें।
- 15) यदि कोई कार्मिक या कार्मिक का पारिवारिक स्वजन इस अवधि के दौरान विदेश यात्रा से लौटा है या ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया है जो विदेश यात्रा से लौटा है तो ऐसे व्यक्ति समय-समय पर चिकित्सा विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

No. 2163 Dir. (D) U.N.L.  
Dated 30.03.20

All project heads/CECTO/R&M/EEs/Inel/Boogali/Files  
20/3/2020  
Director (Tech.)  
U.N.L.



इं० संजय तिवारी  
निदेशक (का० प्र० एवं प्रशासन)

**U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.**

8<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extn.,

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,

8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,

14-अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

(CIN:U40101UP1980SGC005065)

16) भारत सरकार की वेबसाईट [www.Mohfw.gov.in/DraftGuidelinesforhomequarantine.pdf](http://www.Mohfw.gov.in/DraftGuidelinesforhomequarantine.pdf) एवं उ०प्र० शासन की वेबसाईट [www.dgmhup-covid19.in](http://www.dgmhup-covid19.in) में वर्णित सुरक्षा उपायों से भिन्न हो सकते हैं।

### क्या न करें:-

- 1) किसी से हाथ न मिलायें।
- 2) यदि खासी, बुखार के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति से निकटतम सम्पर्क न बनायें।
- 3) बिना हाथ धोये/सेनेटाईज्ड किये अपने नाक/मुँह/आँख को न छुयें।
- 4) अपने हथेलियों से ढककर न छींके/खासे।
- 5) सार्वजनिक स्थल पर न थूकें।
- 6) भीड़-माड़ वाले जगहों पर अनावश्यक जाने से बचें।
- 7) प्रभावित क्षेत्रों की अनावश्यक यात्राओं से बचें।
- 8) सामूहिक समूहों में बैठने वाले स्थानों पर भी जाने से बचें, जैसे कि कैंटीन जाना/सामूहिक रूप से ग्रुप लंच आदि।
- 9) जिम/कलब/मनोरंजन स्थल या अन्य भीड़माड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें।
- 10) बच्चों एवं बुजुर्गों को पार्क इत्यादि स्थान पर जाने से रोकें।
- 11) कार्मिक या कार्मिक का पारिवारिक स्वजन इस अवधि के दौरान विदेश यात्रा से लौटने से सम्बन्धित जानकारी न छुपायें।
- 12) अनावश्यक अफवाहों/भय इत्यादि से दूर रहें।

इसके अतिरिक्त उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के मुख्यालय परिसर/परियोजनाओं पर उपलब्ध कराये गये सेनेटाईजर/वॉशबेसिन का उपयोग करें। आवश्यकता होने पर परिसर में तैनात चिकित्सकों से सम्पर्क करें। इस सम्बन्ध में प्रत्येक कार्मिक की व्यक्तिगत जागरूकता/सर्तकता अत्यंत अपेक्षित है।

**निदेशक (का० प्र० एवं प्रशासन)**

### प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निजी सचिव।
3. निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य)/(तकनीकी)/(वित्त) उ०नि०लि० को अधीनस्थ कार्यालयों पर पालन सुनिश्चित कराने हेतु।
4. परियोजना प्रमुख (अनपरा/ओबरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी/जवाहरपुर) ताप विद्युत गृह को अधीनस्थ कार्यालयों पर पालन सुनिश्चित कराने हेतु।
5. मुख्य अभियंता (मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
6. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०नि०लि०।
7. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०नि०लि०।
8. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।

*Shukla*  
21/03/2020  
निदेशक (का० प्र० एवं प्रशासन)